(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत खण्डीप

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामजीलाल पुत्र श्रीफूल मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर

बनाम

1. हीरालाल पुत्र पून्या मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
2. गबरी पुत्र पून्या मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
3. हल्के पुत्र पून्या मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
4. सन्तोष पुत्र स्व. बदरी मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
5. कडी पत्नी स्व. बदरी मीना निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
6. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खण्डीप , तहसील वजीरपुर
7. उप पंजीयक लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर

मुकदमा नं. – 47/2017 निर्णय की दिनांक –22.06.2018

वादी की ओर से स्वयं रामजीलाल एवं प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी हल्के, गबरी, हीरालाल, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 22.06.**2018** को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी नया दावा पेश करने की छूट के साथ विड्रावल के आधार पर खारिज किया जाता है।

मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	